भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1211
गुरुवार, 5 दिसम्बर, 2024/14 अग्रहायण, 1946 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र में नौकरियों का नुकसान

1211. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए जारी किए गए गैर-निगमित उपक्रमों के वार्षिक सर्वेक्षण में यह दर्शाया गया है कि गत 7 वर्षों में अनौपचारिक क्षेत्र में 16.45 लाख नौकरियां चली गई हैं;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो विगत पांच वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विमुद्रीकरण, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किए जाने और कोविड का नौकरियां कम होने के संबंध में क्या प्रभाव पड़ा है;

(घ) वर्ष 2022-23 में गैर-निगमित उपक्रमों की संख्या में 16.56 लाख की वृद्धि के बावजूद बड़ी संख्या में नौकरियां कम होने का क्या कारण है; और

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से निष्पादित किए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, कोविड की अवधि सहित पिछले 7 वर्षों के दौरान रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है। इसी अवधि के दौरान, 15 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर (यूआर) 6.0% से घटकर 3.2% हो गई है। राज्य-वार डब्ल्यूपीआर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/sites/default/files/ publication_reports/AnnualReport_PLFS2023-24L2.pdf पर उपलब्ध है।

अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई), विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्र में अनिगमित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की विभिन्न आर्थिक और प्रचालन विशेषताओं को विशेष रूप से मापता है।

उपलब्ध एएसयूएसई रिपोर्ट के अनुसार, कामगारों की अनुमानित संख्या 2021-22 में 9.79 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 10.96 करोड़ हो गई है।

इसके अलावा, सितंबर 2017 और सितंबर 2024 के मध्य 7 करोड़ से अधिक कुल अभिदाता भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में शामिल हुए हैं, जो रोजगार परिदृश्य की औपचारिकता में वृद्धि को दर्शाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के अनुमान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2014-15 में 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 17.18 करोड़ है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि कार्यान्वित कर रहे हैं जिनके तहत रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि शामिल है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के ब्यौरे को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने के लिए 5 योजनाओं और पहल संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की।

*****